कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा / मा / छाप्रोप्र / वीसी / डी / विडियो कॉन्फ्रे. / 2019—20 दिनांकः— 06.01.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक—मुख्यालय

विषयः— समस्त प्रकार की छात्रवृतियों से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2019—20 में बजट आवंटन एवं व्यय सम्बंधी समीक्षा हेतु विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक के कम में।

प्रसंगः— शासन संयुक्त सचिव के पत्र कमांक—पं.19(2)शिक्षा—6 / 2017 जयपुर दिनांकः06.12.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 04 के कम में लेख है कि दिनांक 10.01.2020 को अपराह्न **2.00** PM से **5.00** PM तक वित्तीय वर्ष 2019—20 में बजट आवंटन एवं व्यय सम्बंधी समीक्षा हेतु विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया जा रहा है इस वी.सी. में निम्न सम्बधित अधिकारी / कार्मिक भाग लेना सुनिश्चित करें:—

01. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक—मुख्यालय,
02. छात्रवृत्ति के प्रभारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी,
03. छात्रवृति से सम्बंधित केशियर एवं
04. छात्रवृति से सम्बंधित प्रभारी लिपिक

जिला मुख्यालय स्थित NIC वी.सी. रूम, कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्यतः **01.45** PM पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगें। अधिकारी / कार्मिक चुनाव ड्यूटि पर हैं तो अपने सम्बधित प्रतिनिधि को वी.सी. में भिजवाने हेतु पाबन्द करें, इसमे किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें ।

वी.सी. हेतु संलग्न एजेण्डानुसार बिन्दुवार सूचनाओं सहित पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—वीसी एजेण्डा

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. शासन उप सचिव स्कूल शिक्षा (ग्रुप—6) विभाग शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर
2. तकनीकी निदेशक,शालादर्पण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल मे आगामी कार्यवाही हेतु समस्त जिशिअ को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उपस्थिति बाबत।
3. सहायक निदेशक,छात्रवृत्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति में पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु एक तकनीकी अधिकारी वी.सी.में उपस्थित होने बाबत।
4. प्रभारी अधिकारी भामाशाह,डी.ओ.आई.टी.जयपुर को वी.सी. में तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु उपस्थित होने बाबत।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,समस्त संभाग को कार्यालय के प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति को उक्त वी. सी. में भिजवाने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग बाबत।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यालय के प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति को उक्त वी.सी. में भिजवाने एवं प्रभावी मॉनेटरिंग बाबत।
7. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

वी.सी एजेण्डा (छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजना)

दिनांक : **10.01.2020**

समय : **दोपहर 02.00 से सांय 5.00 बजे तक**

स्थान : **जिला केलक्ट्रेट स्थिति वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग कक्ष NIC**

1. विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019–20 में आवंटित बजट का 25 प्रतिशत से कम भुगतान करने वाले जिलों का विवरण

क्र.स.	छात्रवृत्ति / प्रोत्साहन योजना का नाम	25 प्रतिशत से कम भुगतान करने वाले जिलों का नाम
1	Pre Matric SC (Class 6-10)	बूंदी,राजसमन्द,जयपुर,उदयपुर,हनुमानगढ
2	Pre Matric MBC (Class 6-10)	जयपुर,करौली,उदयपुर,अलवर,चूरू,हनुमानगढ,बारां
3	Pre Matric Unclean (Class 01-10)	जयपुर
4	DEV NARAYAN GURUKUL MBC	चूरू
5	POST MATRIC OBC (Class 11-12)	जयपुर
6	POST MATRIC MBC (Class 11-12)	जैसलमेर,टोंक,उदयपुर,हनुमानगढ
7	POST MATRIC EBC (Class 11-12)	गंगानगर,झालावाड,भरतपुर,टोंक,सिरोही,जयपुर,कोटा, करौली उदयपुर,हनुमानगढ,दौसा

समस्त छात्रवृत्ति (पूर्व एवं उत्तर मेट्रिक योजनाएं) एवं प्रोत्साहन योजनाओं में आवंटित बजट वित्तिय वर्ष 2019–20 में व्यय की ठोस प्रगति रिपोर्ट पूर्व में दिए गए प्रपत्र 1 एवं 2 में भरकर भिजवाना सुनिश्चित करें।

2. **विभिन्न प्रकार की पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्तियों वित्तिय वर्ष 2019–20** [(1)पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08, (2)पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08, (3)पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10, (4)पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10, (5)पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10, (6)पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह– एस.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10, (7)सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, (8)भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावन पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12, (9)प्री–कारगिल शहीदों के आश्रितों को छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 12, (10)पोस्ट–कारगिल शहीदों के आश्रितों को छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 12)] **हेतु** शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं इनके भुगतान हेतु शालादर्पण पर ही बिल बनाकर पे–मैनेजर के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। इस हेतु NIC एवं IFMS द्वारा तकनीकी सर्विस तैयार की जा चुकी है। वित्त विभाग की अनुमति मिलते ही सत्र 2019–20 की भुगतान प्रक्रिया शालादर्पण के माध्यम से ही सम्पादित की जावेगी एवं पूर्व के वर्षो की शेष रही छात्रवृत्तियों का भुगतान भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है।
3. **छात्रवृत्ति राशि वर्ष 2016 से पूर्व** ऑफ लाईन विद्यालय के माध्यम से दी जाती थी ऐसे कुछ विद्यालयों के खाते में अवितरित राशि शेष है अतः ऐसे विद्यालयों को निर्देशित करें कि वे

अवितरित राशि को रेवेन्यु हेड 2202–01–102–02–01 में चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिचित करें।

4. **इन्सपायर आवार्ड मानक योजना** 2019–20 हेतु DLEPC का जिलेवार एवं दिनांक वार कार्यक्रम दिनांक 04.01.2020 से दिनांक 11.01.2020 तक प्रस्तावित है। इस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन उपरांत व्यय विवरण 05 दिवस में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये। विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा अब तक आयोजित DLEPC एवं SLEPC के लिए आवंटित बजट हेतु दिनांक 26.12.2019 को प्राप्त ई–मेल के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2019–20 तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र चाहा गया है अतः उपरोक्तानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. **अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु NSP पोर्टल पर** District Nodal Officer द्वारा Verification की अंतिम तिथि 17.01.2020 निर्धारित है अतः उक्त तिथि तक सभी आवेदन Verify किया जाना सुनिश्चित करें।

   नोट : समस्त DNO's को पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है कि पोर्टल पर प्राप्त Fake Institute & Fake आवेदन की पहचान कर उसे Portal पर Fake Mark किया जाना सुनिश्चित करें ताकि किसी गलत विद्यार्थी को भुगतान ना हो सके।
6. **उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु** प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्थाप्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा 21 दिवस में Verify किया जाना होता है। 21दिवस की अवधि में Verify नहीं करने पर आवेदन Auto Forward हो जाता है। इस प्रकार Auto Forwarded गलत आवेदन का भुगतान होने पर समस्त दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय का निर्धारित किया जावेगा। अतः इस कार्य में लापरवाही ना हो।
7. **द लर्निंग सोसायटी चेरिटेबल ट्रस्ट** द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले से कक्षा 10 (प्रत्येक जिले से 01) एवं कक्षा 12 (कला, वाणिज्य एव विज्ञान के 01–01 विद्यार्थी) इस प्रकार प्रत्येक जिले से कुल 04 विद्यार्थी जो BPL श्रेणी के हों तथा 70 प्रतिशत से उपर के अंक प्राप्त किए हों ऐसे विद्यार्थियों को 10,000/– रूपये का Demand Draft ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। सत्र 2019–20 में 128 विद्यार्थियों के Demand Draft सम्बन्धित जिलों को भिजवाए जा चुके हैं। अतः 03 माह की निर्धारित अवधि में विद्यार्थियों का भुगतान करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें। **(निम्न जिले– गंगानगर, हनुमानगढ, उदयपुर, झुन्झुनू, धोलपुर द्वारा Demand Draft अभी तक प्राप्त नहीं किए है।)**
8. **गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार** के तहत कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समस्त बालिकाओं क्रमशः 3000/– एवं 5,000/– बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा दिये जाते है। वर्तमान सत्र 2019–20 हेतु छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु शीघ्र ही बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा विज्ञप्ति जारी की जानी है जबकि पिछले सत्र की बालिकाओं को पूर्व की भांति ऑफलाईन ही आवेदन करना है। अतः सत्र 2019–20 हेतु आगामी सूचना तक ऑफलाईन आवेदन नहीं लिए जावें।
9. **विशेष पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना(देवनारायण योजना सहित)** के उच्च प्रतिष्ठि विद्यालयों से मांग एवं व्यय विवरण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय से 10 जनवरी, 2020 तक चाहे गए हैं जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय उक्त मांग पत्र एवं व्यय विवरण निर्धारित तिथि से पूर्व भेजना सुनिश्चित करें।
10. **अन्तर जिला शैक्षिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण योजना 2019–20** के तहत की गई कार्यवाही एवं प्रतिवेदन निम्न जिलो (अलवर, बांसवाडा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ, करौली, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर उदयपुर,झालावाड़, भरतपुर, एवं प्रतापगढ) के आज दिनांक तक अपेक्षित हैं जिसे अविलम्ब इस कार्यालयों को भिजवाना सुनिश्चित करें।
11. **बालिका प्रोत्साहन योजना** अन्तर्गत NSIGSE (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education) के अन्तर्गत सत्र 2015–16 एवं 2016–17 में आवेदन करने वाली बालिकाएं जो 30.06.

2019 तक FDR के मेच्योरिटी भुगतान हेतु पात्र हो गई हैं। इस हेतु 04 स्मरण पत्र जारी किए जा चुके हैं किन्तु सभी जिलों से सूचना अपेक्षित है। (केवल पाली संभाग से सूचना प्राप्त हुई है।)

नोट :–वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उक्त योजना Hold पर रखी गई है। भारत सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त होने के उपरांत वर्तमान सत्र की कार्यवाही संभव होगी।

12. **मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना** अन्तर्गत वर्तमान सत्र की भुगतान प्रक्रिया बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा प्रारंभ कर दी गई है निम्न जिलों (बांसवाडा,बारां,जालौर,कोटा एवं टोंक) ने चयनित बालिकाओं से प्रस्ताव प्रपत्र–1 एवं 02 भरवाकर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को प्रेषित नहीं किए हैं वे अविलम्ब प्रेषण की कार्यवाही करें ताकि योग्य बालिकाओं को भुगतान प्राप्त हो सके।

13. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार की सूची एवं प्रस्ताव मय आवेदन पत्र बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भिजवाया जा चुका है। यदि किसी कारण से किसी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव मय आवेदन पत्र नहीं भिजवाया गया है तो तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।
14. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना (एस.टी.डी.आर.योजना) हेतु शेष जिलों से पत्र दिनांक 30.09.2019 तक चाहे गए प्रस्ताव तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।
15. **STSE** का आवंटित बजट दिनांक 13.08.2019 (बीकानेर,बाडमेर,कोटा) द्वारा व्यय विवरण की सूचना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।
16. **NTSE** का आवंटित बजट दिनांक 18.12.2019 की व्यय विवरण की सूचना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।
17. देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष कोचिंग केम्प वर्ष 2019–20 की केम्प समापन की सूचना (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड) भिजवाना सुनिश्चित करें।
18. छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजना की सामान्य जानकारी एवं निर्देश।
19. श्रीमान् निदेशक महोदय के निर्देशानुसार अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु।
20. समस्त छात्रवृत्ति के आवंटित बजट की व्यय प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य समस्त सूचनाएं दिनांक 08.01.2020 सांय 04 बजे तक इस अनुभाग की मेल आईडी **deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in** पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।